बीड़ी मजदूरों के आवास के संबंध में

बीड़ी मजदूरों को आवासीय सुविधा प्रदान करने के उद्येश्य से समेकित आवास योजना, 2007 कार्यान्वित थी। उक्त योजना के अनुसार बीड़ी श्रमिकों के आवास निर्माण हेतु भारत सरकार द्वारा दो किस्तों में 20–20 हजार रूपये एवं राज्य सरकार द्वारा 4000/– रूपये तथा श्रमिक अंशदान 1000/– अर्थात कुल 45000/– रूपये किये जाने का प्रावधान था। बढ़ती हुई मंहगाई एवं बदलती अपेक्षाओं के कारण भारत सरकार द्वारा योजना को संशोधित करते हुए पुनरीक्षित एकीकृत आवास योजना 2016 दिनांक–02.03.2016 के प्रभाव से लागू की गयी। पुनरीक्षित योजना के प्रावधानों के अनुसार तीन किस्तों में 1,50,000/– रूपये देने का प्रावधान है। 25% अग्रिम 60% लिन्टेल लेबल एवं 15% पूर्ण होने के पश्चात्। पुनरीक्षित योजनान्तर्गत अनुदान की सम्पूर्ण राशि का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है।